बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

58

पत्रांक: प्र0-II.ज0.शि0.को0-27/09-1389 /एम0 पटना, दिनांक 31/7/09

प्रेषक,

अवर सचिव,

खान एवं भूतत्व विभाग।

सेवा में,

विकास यात्रा-०९
कृत कार्रवाई पत्र

सेवा मे,

मुख्य सचिव जनशिकायत कोषांग,

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,

बिहार,पटना।

विषय: ''विकास यात्रा-2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग: मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ संख्या-1902930196

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन आवेदन के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि इस मामले मे सम्यक विचारोपरान्त आवेदक द्वारा स्वीकृत पत्थर भंडारण अनुज्ञप्ति के विरूद्ध भंडारित पत्थर के परिवहन हेतु खनिज परिवहन चालान(ट्रांजिट पास) निर्गत करने का निदेश खनिज विकास पदाधिकारी लखीसराय को पत्रांक-1321/एम0,दिनांक 21.07.2009 द्वारा दिया जा चुका है(प्रतिलिपि संलग्न)।

इस प्रकार संदर्भित आवेदन का निष्पादन किया जा चुका है। कृपया कृत कार्रवाई पत्र पर अनुमोदन देने की कृपा की जाय ताकि आवेदक को सूचित किया जा सके।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ATL S.O.

विश्वासभाजन,

31.7.2009

(राम सूचित शर्मा),

अवर सचिव।

57

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांकः–प॰चा॰लखी॰– 1321 /एम॰ पटना, दिनांक 21-07-09

प्रेषक,

आई.डी.पासवान,
निदेशक।

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी,
लखीसराय।

विषयः– भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि लखीसराय जिला में वन क्षेत्र अवस्थित है और एक वृहद खनिज की लीज सरकार द्वारा रद्द की गयी है। भंडारण अनुज्ञप्ति देने से इन क्षेत्रों से अवैध खनन की प्रबल सम्भावना है। अतः लखीसराय जिला में भंडारण अनुज्ञप्ति नहीं दिये जायें। जिन दो मामलों में आपके द्वारा अनुज्ञप्ति दे दी गयी है, उनका नवीकरण नहीं किया जाय।

2. इन दो अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भंडारित 3200 सी0एफ0टी0 भंडारित पत्थर के लिए ट्रांजिट पास निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि इन भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों को निर्गत किये जाने वाले परिवहन चालान का दुरूपयोग न हो एवं भविष्य में इन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पुनः पत्थर का भंडारण नहीं किया जाय। खान निरीक्षक को भंडारित पत्थरों के लिए यथानिदेशित पत्थर परिवहन चालान प्राप्त करने के लिए निदेशित कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक।
21/07/09